कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा

2014—2015

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा संबंद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय मे केन्द्रिय पंजीयन एवं एम.आर.डी. समस्त अनुसंधरण का कार्य आउट सोर्स माध्यम से संचालित करने हेतु **द्वितीय निविदा** का प्रारूप एवं शर्ते।

निविदा फार्म का मूल्य रू. 5000.00

निविदा प्रपत्र क्रमांक.........................

रसीद क्र...

दिनांक..

निविदा आवेदन प्रपत्र

निविदाकर्ता अपने स्वयं के लेटर हेड पर इस प्रारूप में निविदा प्रपत्रों की शर्तो के अनुसार निविदा प्रस्तुत करेगें।

प्रति ,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा

विशयः— गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा में केन्द्रिय पंजीयन का कार्य एवं एम.आर.डी. समस्त अनुसंधरण का कार्य आउट सोर्स माध्यम से संचालित करने हेतु निविदा।

संदर्भः— स्थानीय समाचार पत्र.......................................के दिनांक......................................के संस्करण में प्रकाशित आपका विज्ञापन क्र....................................दिनांक..

श्रीमान,

विषयान्तर्गत हम/मै गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में केन्द्रिय पंजीयन का कार्य एवं एम.आर.डी समस्त अनुसंधरण का कार्य आउटसोर्स के माध्यम से संचालित करने हेतु संलग्न प्रपत्र में दर सहित अपनी निविदा आवेदन सहर्ष प्रस्तुत करते है।

मुझे निविदा प्रपत्र मे संलग्न सभी शर्ते मजूर है।

1. निविदाकर्ता का नाम..
2. संस्था/दुकान/कम्पनी का नाम एवं शील...
3. संस्था/दुकान/कम्पनी का पूर्ण पता...मोबाइल नं....... ....कार्यालय फोन नं...निवास फोन नं.............................
4. उपरोक्त कार्य करने का विगत वर्शो का विवरण (आवश्यक होने पर अलग से सीट लगायें)..................................... ....
5. आयकर स्थाई लेख नं. (पैन नं.)..
6. वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन नं. (टिन नं.)...
7. रजिस्ट्रेशन/दस्तावेजो की छायाप्रति जो संलग्न करना आवश्यक हैः—

- धरोहर राशि रू. 1.00 लाख की एफ.डी.आर जो एक वर्ष के लिये जारी की गई हो तथा संयुक्त संलालन एवं अधीक्षक जी.एम.एच. रीवा के नाम से अनुबंधित हो।
- वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी।(रू 10.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिये)
- आयकर रिटर्न के रसीद की छायाप्रति एसेसमेंट वर्ष 2014—15
- पैन कार्ड की छायाप्रति।
- टिन रजिस्ट्रेशन नं. की छायाप्रति।
- 100.00 रू राशि के नान जूडिसियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलतः।
- अनुभव प्रमाण पत्र (पूर्व में संस्थानो को प्रदाय सेवा की सूची)
- गांधी स्मारक चिकित्सालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी से संबंध यदि हो तो..
- अन्य कोई विवरण...

निविदाकार के हस्ताक्षर
संस्था की सील

संजय गांधी स्मृति एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय मे केन्द्रीय पंजीयन व्यवस्था को आउट सोर्स करने हेतु निविदा प्रक्रिया

लिफाफा क्रमांक :– ए

1. धरोहर राशि रूपये 1,00,000/–(रू. एक लाख मात्र) का एफ.डी.आर. जो कि संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के नाम से देय होगा, जिसकी वैधता जारी करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये होगी।

2. आवेदन पत्र।

3. घोषणा पत्र।

4. कहीं ब्लैकलिस्ट नहीं किय गया हैं इस आशय का नोटरीकृत शपथ पत्र।

5. निविदा फार्म हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित (निविदा फार्म के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर हो)।

6. विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. फर्म/कम्पनी का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र।

8. विगत दो वर्षो की फर्म/कम्पनी की बैलेन्स सीट जो कि किसी सी.ए. द्वारा जारी की गई हो।

9. पेन कार्ड की छायाप्रति।

10. कम से कम 100 बिस्तर वाले शासकीय/निजी प्रतिष्ठित चिकित्सालय मे केन्द्रीय पंजीयन व्यवस्था का कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

नोटः– प्री–क्वालिफिकेशन बिड मे प्रयुक्त समस्त प्रमाण पत्र को क्वालिफिकेशन बिड के सीरियल न0 के अनुसार संलग्न कर सीरियल न0 अंकित करते हुए प्रमाण पत्रो पर चिन्हित करने हेतु फ्लैग लगावें।

चेक लिस्ट (लिफाफा ए मे रखने हेतु)

(संलग्न दस्तावेज)

लिफाफा ए तकनीकी बिड

क्र.	निविदा के साथ वांछित आवश्यक दस्तावेज	निविदाकार द्वारा टिक किया जावे	क्रय समिति द्वारा टिक किया जाये।
1.	मूल निविदा प्रपत्र मे प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर व सीलयुक्त मूलतः	हां / नही	हां / नही
2.	जमानत राशि के रूप मे संयुक्त संचालक सह अधीक्षक जी.एम.एच. रीवा के नाम से रू. 100000.00 (एक लाख) का एफ.डी.आर. क्र. ....दिनांक ....एक वर्ष अवधि क लिये जमा मूलतः।		
3.	फर्म / संस्था की रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति । जिसमे निविदाकृत कार्य व्यवसाय प्रदर्शित हो।		
4.	आयकर रिटर्न वर्ष 2011—12,2012—13,2013—14 की रसीद		
5	वैध वाणिज्य कर क्लियरेंस प्रमाण पत्र		
6.	सर्विस टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र		
7.	100.00 राशि के नांन जूडिसियल स्टेम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलतः		
8.	कार्य अनुभव प्रमाण पत्र 100 बिस्तर वाले शासकीय चिकित्सालय / निजी प्रतिष्ठित चिकित्सालय		
9	पैन कार्ड की छायाप्रति		
10	टिन नं. रजिस्टेशन की छायाप्रति		
11	सर्विस टैक्स नं. की छायाप्रति		
12	02 वर्ष की बैंलेंस सीट सी.ए. द्वारा प्रमाणित 2012—13,2013—14 जिसमें टर्न ओवर रू. 10.00 लाख से कम न हो।		
13	दर सूची (प्राइस बिड)		

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

लिफाफा क्रमांक :– ए

(टेक्नीकल बिड)

निविदाकार का नाम :–

क्रमांक	तकनीकी मापदण्ड	हॉ	नहीं	रिमार्क
1.	केन्द्रीय पंजीयन कार्य ओ.पी.डी., आई.पी.डी., जॉच रसीदें, डिचार्ज टिकट, मेडिसिन ईसू स्लीप एवं विजिटर पास व एम.आर.डी. का समस्त साफ्टवेयर एम.सी.आई. अनुसार लगाना होगा जिसमें– 1. आकस्मिक चिकित्सा विभाग तीन कम्प्यूटर 7X24 2. बाह्य रोगी विभाग सात कम्प्यूटर 08 घण्टे प्रतिदिन वर्ष में 365 दिन 3. एम.आर.डी. सेन्टर तीन कम्प्यूटर कार्यालयीन दिवस सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक कुल आपरेटरों की संख्या 20 एवं बीस कम्प्यूटर सेट विथ प्रिन्टर एवं समस्त पेपर निविदाकार को देना होगा। जैसे कि:– –सी.पी.यू. – पेंटियम आई 5 –मनीटर– टी.एफ.टी, –प्रिंटर– डाटमैट्रिक्स – इन्वर्टर।			
2.	उक्त कम्प्यूटरर्स मे से 7 कम्प्यूटर ओ.पी.डी विभाग. ,3 कम्प्यूटर आकस्मिक चिकित्सा विभाग एवं 3 कम्प्यूटर एम.आर.डी. सेन्टर मे स्थापित किये जायेगे, जिसमे से आकस्मिक चिकित्सा विभाग मे स्थापित कम्प्यूटर 24 घण्टे सेवा हेतु संचालित रहेगे।			
3.	चिकित्सालय मे सभी कम्प्यूटर निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय से स्थापित किये जावेगे एवं उन पर किसी भी प्रकार की खराबी आने पर उसके सुधार एवं मरम्मत की जबाबदारी निविदाकार की होगी।			
4.	बिजली आदि के व्यवधान होने पर भी कम्प्यूटर सतत् रूप से संचालित होते रहे इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था भी निविदाकार की होगी। पुराने अनुभवों से यह देखा गया है कि पीक आवर्स में कम्प्यूटर तथा प्रिंटर में खराबी आ जाती है जिससे मरीजों को काफी परे ाानी होती है इसलिये अतिरिक्त कम्प्यूटर तथा प्रिंटर आपको अपने स्टाक में रखना होगा जिससे उपरोक्त स्थिति के निर्मित होने पर उसको तुरन्त बदला जा सके जिससे मरीजों को कोई परेशानी न हो।			

5.	कम्प्यूटर के सुचारू संचालन हेतु निविदाकार को प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारी रखने होगे एवं उन कर्मचारियों के वेतन/ई.पी.एफ. एवं अन्य देय करों का भुगतान निविदाकार के द्वारा ही वहन किया जावेगा। एवं किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर कर्मचारियों की समस्त जबावदारी निविदाकार की होगी।			
6.	यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोडता है या अवकाश पर जाता है तो उनके स्थान पर कर्मचारी नियुक्त करना या वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वयं निविदाकार की होगी। ताकि कम्प्यूटर का संचालन सतत् रूप से जारी रह सके।			
7.	चिकित्सालय मे उपलब्ध वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यवस्था निविदाकार द्वारा की जानी है तो वह व्यवस्था उसे स्वयं के व्यय पर करनी होगी। स्वयं का सी.सी.टी.वी. कैमरा समस्त कार्ययत जगह पर लगाना होगा तथा एम. आर.डी. रूम के लिये वार्डों से रिकार्ड लाने की जबावदारी निविदाकार की होगी।			
8.	सभी प्रकार के कम्प्यूटर कंजूमेबल, बैकअप मीडिया, प्री प्रिंटेड कम्प्यूटर स्टेशनरी आदि पर होने वाला समस्त व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।			
9.	निविदाकार/नियुक्त कर्मचारियों द्वारा साफ्ट वेयर एवं कम्प्यूटर चलाने का प्रशिक्षण चिकित्सा महाविद्यलय/चिकित्सालय स्टाफ को दिया जावेगा, इस हेतु प्रबंधन द्वारा स्टाफ की सूची उपलब्ध करायी जावेगी। इसके लिये किसी भी प्रकार का भुगतान निविदाकार को नहीं दिया जावेगा।			

नोट :– तकनिकी बिड मे प्रयुक्त समस्त प्रमाण पत्र को तकनिकी बिड के सीरियल न0 के अनुसार संलग्न कर सीरियल न0 अंकित करते हुये प्रमाण पत्रों पर चिन्हित् करने हेतु फ्लैग लगावें।

लिफाफा क्रमांक :– बी

(प्राइस बिड)

क्रमांक	तकनीकी मापदण्ड	हॉ	नहीं	दर अंकित करें
1.	प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित बी.पी.एल., दीनदयाल अन्तयोदय उपचार योजना के गरीब मरीजों, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, भवन संन्निर्माण कर्मकार योजना मण्डल एवं सेवानिवृत्त म0प्र0 शासकीय सेवाकों एवं स्वतंत्रत्रा संग्राम सेनानीयो, राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना एवं आपतकालीन मरीजों (जैसे– सडक दुर्घटना, अपदा–विपदा) आदि का पंजीयन निःशुक्ल करना होगा।			
2.	सामान्य मरीजों से दर सूची मे निर्धारित शुल्क के अनुसार शुल्क वसूल किया जावेगा।			
3.	ओ.पी.डी., आई.पी.डी. के टिकट की साइज ए–4 पेपर एवं जॉच रसीदों, विजटर पास की साइज ए–8 होगी।			
	योग राशि			
	देय करों की राशि पृथक–पृथक			
	कुल राशि का योग			

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय
रीवा (म0प्र0)

विषयः—गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा में केन्द्रिय पंजीयन का कार्य एवं एम.आर.डी. समस्त अनुसंधरण का कार्य आउट सोर्स माध्यम से संचालित करने हेतु निविदा फार्म जमा करने बावत्।

———0———

आपके द्वारा जारी किया गया निविदा क्रमांक ....दिनांक ....के पालन मे हम (फर्म /निविदाकार का नाम ....) आपके चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय मे केन्द्रीय पंजीयन कार्य एवं एम.आर.डी (एम.सी. आई. अनुसार) के संपादन हेतु निविदा फार्म सभी शर्तो के साथ जमा कर रहा हूॅ। मैने/हमने सभी शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ एवं समझ लिया है। यदि मेरी बिड आपके द्वारा स्वीकार की जाती है तो आपके द्वारा की गई एप्रूव दर पर अनुबंध करूॅगा एवं भविष्य मे भी आपके द्वारा दी गई शर्तो को मान्य करूॅगा।

आपका शुभेच्छु

नामांकित हस्ताक्षरी
(फर्म का पूरा नाम, हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम एवं पद, सील सहित)

दिनांक		फोन न.		फैक्स न.	
स्थान		मोबाइल न.		ई—मेल आई.डी.	

(इस पत्र को फर्म/कम्पनी अपने अधिकृत लेटर पैड पर ही देवें)

घोषणा पत्र

मै .... पद ....
कम्पनी / फर्म का नाम ....
......कम्पनी / फर्म का नामांकित हस्ताक्षरी होने के कारण शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅ कि मैने निविदा की सभी शर्ते पढ एवं समझ लिया हूं जो कि आउट सोर्सिग के माध्यम से श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय हेतु केन्द्रीय पंजीयन कार्य के संपादन हेतु मजूंर करता हूॅ।

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पद ....
कार्यालय का पता ....
(कार्यालयीन सील)

<u>हलफनामा का नमूना</u>
<u>रू. 100 के नॉन जूडिसीयल स्टाम्प(नोटरीकृत)</u>

मै .... पद ....फर्म / कम्पनी . ... निवास का पूर्ण पता .... शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅ कि –

1. मेरी कम्पनी / फर्म .... देश / विदेश के किसी भी हिस्से मे कहीं भी कभी भी ब्लैकलिस्टेड नही हुई है।

2. इस वित्तीय वर्ष मे मैने अन्यत्र कहीं भी शासकीय / अर्ध शासकीय अथवा प्राइवेट संस्थान मे इससे कम दर अंकित नहीं की है।

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पद ....
कार्यालयीन पता एवं सील ....

<u>गवाहों के हस्ताक्षर –</u>

1. हस्ताक्षर ....
2. नाम / पिता का नाम ....
....
3. पूरा पता ....
....

1. हस्ताक्षर ....
2. नाम / पिता का नाम ....
....
3. पूरा पता ....

निविदा जमा करने हेतु नियम एवं शर्ते

1. निविदा फार्म संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के कार्यालय में रू. 5000/— (पॉच हजार) मात्र का डी.डी. जमा करने पर किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं समय मे दिनांक 25.10..2014 तक समय अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। डी.डी. संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म0प्र0 के नाम रेखाकिंत कर देय होगा जो की वापसी योग्य नहीं होगा।

2. सभी तरह से पूर्ण भरा हुआ निविदा फार्म संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा मे दिनांक 03.11.2014 तक अपरान्ह 3:00 बजे तक निर्धारित तिथि एवं कार्यालयीन दिवस मे प्राप्त हो जाना चाहिये। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले निविदा पर विचार नही किया जावेगा एवं किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी निविदाकार की होगी। निविदा दिनांक 05.11..2014 को दोपहर 12:30 बजे अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के सभागार में क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जावेगी।

3. कृपया प्रत्येक लिफाफे को पूर्ण रूप से चपडे वाली सील से ही सील कर बंद करें।

4. एक बार जमा करने पर निविदा फार्म वापस नही किया जावेगा। यदि किसी कारण वश निविदाकर्ता निविदा मे भाग नही लेता है तो धरोहर राशि राजसात की जावेगी एवं वापस नही की जावेगी।

5. अपूर्ण फार्म को नही शामिल किया जावेगा एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। इस बाबत किसी भी प्रकार का पत्राचार नही किया जावेगा।

6. निविदाकर्त्ता द्वारा निविदा दो अलग—अलग लिफाफों मे जिसमे ए, लिफाफे मे मांगे गये समस्त दस्तावेज (तकनीकी बिड) एवं लिफाफा बी मे प्राइस बिड रखकर सील बंद किया जावें , इन दोनो सीलबंद लिफाफों को लिफाफा सी (आउटर लिफाफा) के अंदर रखकर सीलबंद किया जावें

निविदा को खोलना :–

1. **निविदा फार्म निम्नानुसार खोला जावेगा –**

(ए) **लिफाफा ए खोलने की** तिथि अधिष्ठाता कार्यालय के कान्फ्रेस हाल मे दिनांक 05.11.2014 को दोपहर 12:30 बजे खोला जावेगा। जिसमे निविदकार या उसके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकता है। यदि निविदा फार्म के लिफाफा ए मे कोई कमी पाई जाती है तो निविदा मान्य नही की जावेगी। निविदा शुल्क रू. 5,000/– वापस नहीं किया जावेगा।

(बी) **लिफाफा बी (प्राइस बिड को खोलना) –** जिन निविदाकारों की तकनीकी बिड निविदा शर्तो के अनुरूप पाई जावेगी उन्हीं निविदाकारों की प्राइस बिड चिकित्सा महाविद्यालय के कान्फ्रेस हाल मे खोली जावेगी जिसमे निविदाकार या उसके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। इसकी सूचना पृथक से दी जावेगी।

निविदा फार्म भरने का तरीका –

1. **पता –** निविदाकार अपना पूरा पता लिखें जिससे की उनके पते का सत्यापन सामान्य रूप से किया जा सके। अपूर्ण पता बिड के निरस्त होने का कारण बन सकता है।

2. **नामांकित प्रतिनिधि –** निविदाकार स्वयं या उसका मात्र एक नामांकित प्रतिनिधि ही निविदा खुलते समय उपस्थित रह सकता है। नामांकित प्रतिनिधि को निविदाकार द्वारा जारी किया अधिकृत मूल पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा जिसमें निविदाकार द्वारा उसके हस्ताक्षर को सत्यापित किया हो।

3. **अधिकृत व्यक्ति –** जैसे ही निविदाकार से प्रतिनिधि अधिकृत होने का पता चलता है वैसे ही वह व्यक्ति इस आशय का पत्र (सील सहित) से संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा को अवगत करायेगा कि उसके पास निविदाकार का इस आशय का अधिकार है कि वह निविदाकार की तरफ से निर्णय ले सकता है जो कि निविदाकार को मान्य होगी।

4. किसी भी स्थिति मे क्रय किया गया निविदा फार्म का शुल्क वापस योग्य नही होगा एवं किसी भी प्रकार से एक बार जमा करने पर निविदा फार्म वापस नही किया जावेगा।

धरोहर राशि जमा करना –

1. धरोहर राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जिसकी शाखा रीवा मे हो का रेखांकित बैंक ड्राफट ही मान्य होगा। जो कि संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म0प्र0 के नाम देय हो, देना होगा।

2. यदि किसी एक निविदाकार की निविदा स्वीकृत होती है तो अन्य निविदाताओं को उनकी धरोहर राशि बिना ब्याज के तीन माह मे वापस कर दी जावेगी।

3. जिस निविदाकार की दर मान्य होगी उस निविदाकार को सुरक्षानिधि जमा कर अनुबन्ध करना होगा। यदि पूरी सुरक्षानिधि जमा की जाती है तब धरोहर राशि वापस कर दी जावेगी।

सुरक्षानिधि जमा करना –

जिस निविदाकार की निविदा मान्य होगी उस स्थिति मे निविदाकार को रू. एक लाख का एफ.डी. आर. जमा करना होंगा जो संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म0प्र0 के नाम से होगा और जिसे अनुबन्ध होने से तीस दिन के अन्दर जमा करना होगा। यह सुरक्षानिधि उस दिनांक तक रखी जावेगी जब तक के लिये निविदा की गई है। यदि किसी कारण वश निविदा बीच मे ही निविदाकार द्वारा समाप्त की जाती है तो उस स्थिति मे सुरक्षानिधि राजसात कर ली जावेगी। इस सुरक्षानिधि पर किसी भी तरह का ब्याज देय नही होगा।

उपलब्ध अधोसंरचना/जगह –

1. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के बाहय रोगी विभाग के ग्राउड फलोर पर बाहय रोगियों की पर्चियां जारी करने हेतु कम्प्यूटर स्थापित करने के लिये स्थान उपलब्ध है।

2. आकस्मिक चिकित्सा विभाग मे भर्ती रोगियों की पर्ची, विजटर पास एवं विभिन्न जाचों की रसीदें जारी करने हेतु कम्प्यूटर के लिये स्थान निर्धारित है।

3. उक्त स्थान के अतिरिक्त चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा निविदाकार को चिकित्सालय भवन मे एक रूम मेन सर्वर रखने हेतु उपलब्ध कराया जावेगा।

4. सभी निविदाकार चाहे तो उपलब्ध जगह का संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा द्वारा अनुमति प्राप्त कर निरीक्षणकियाजा सकता है।

5. सफल निविदाकार को आन्तरिक साज–सज्जा स्वयं करानी होगी तथा अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर इसका कोई खर्च नहीं दिया जावेगा और न ही इसकी मांग की जावेगी।

अन्य शर्ते –

1. निविदाकार को समस्त कम्प्यूटर एवं उस पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं के व्यय पर करनी होगी।

2. निविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा निर्धारित समय सीमा तक कम्प्यूटर पर कार्य करने होगे।
3. निविदाकार द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय प्रबंधन की नही होगी और न ही महाविद्यालय/चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा निविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अपने पास कार्य करने हेतु नियुक्त करेगा।
4. निविदाकार द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी की दुर्घटना/मृत्यु होने पर चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय की कोई जिम्मेदारी नही होगी। श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा कोई अनुकम्पा/क्षतिपूर्ति प्रदान नही करेगा।
5. निविदाकार को अपने कर्मचारियों को यूनिफार्म एवं फोटोयुक्त परिचय पत्र स्वयं के व्यय पर बनबा के देने होगे तथा निविदाकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अपने निर्धारित यूनिफार्म एवं परिचय पत्र के साथ उपस्थित होना पडेगा।
6. निविदाकार को म0प्र0 मे प्रचलित सभी श्रम कानून का पालन करना होगा तथा पी.पी.एफ. इत्यादि का लेखा प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदाकार को अपने कर्मचारियों का फोटोयुक्त बायोडाटा पुलिस सत्यापन सहित संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा में जमा करना होगा।
8. निविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों मे से किसी के अवकाश पर जाने या नौकरी छोडने पर चिकित्सालय का पंजीयन कार्य बाधित न हो इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी स्यवं निविदाकार की होगी ।
9. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंद्ध चिकित्सालय रीवा प्रबंधन द्वारा अधिकृत कर्मचारियों को निविदाकार/निविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा पूर्ण सहयोग करना होगा। किसी प्रकार की शिकायत आने एवं जॉच मे सत्य पाये जाने पर अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का निर्णय मान्य होगा।
10. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा द्वारा निविदाकार को निविदा मे स्वीकृत दर के आधार पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जी.एम.एच.रीवा द्वारा सत्यापित देयक प्रस्तुत करने पर भुगतान दिया जावेगा।
11. निविदाकार द्वारा निविदा की शर्तो का उल्लधंन करने पर निविदा रद्‌द करने का अधिकार श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा होगा।
12. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/ संबंद्ध चिकित्सालय को यह अधिकार होगा की निविदाकार द्वारा चिकित्सालय मे स्थापित उपकरणों को ले अथवा नहीं।

13. निविदाकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन से नियमानुसार काटे गये ई.पी.एफ. एवं देय अन्य करों आदि की जानकारी से श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय को नियमित रूप से अवगत कराना होगा।

14. निविदाकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की स्वीकृति बैगर केन्द्रीय पंजीयन कार्य में उपयोग होने वाले उपकरणों के अतिरिक्त अन्य कोई उपकरण संस्था के कैम्पस या आवंटित जगह पर नही लगा सकेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी या उनके प्रतिनिधि किसी भी समय आवंटित परिसर का निरीक्षण कर सकेगें एवं अव्यवस्था पाये जाने पर निराकरण हेतु आदेश का अधिकार होगा।

15. निविदाकार का यह कर्त्तव्य होगा की मरीजो अथवा मरीजों के सगे–सबंधियों के साथ हुये किसी मतभेद/वाद–विवाद हेतु पुलिस/न्यायालय जाने के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा या उनके प्रतिनिधि को सूचित करना जरूरी होगा एवं प्रदेश शासन के नियमों का पालन करना होगा।

16. सफल निविदाकार को अपने स्टाफ की नियुक्ति एवं उनके बदलाव/परिवर्तन का अधिकार होगा। निविदाकार को कार्य पर लगे स्टाफ की सूची एवं परिवर्तन करने की सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जी.एम. एच. रीवा को लिखित रूप से देनी होगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्टाफ पर नियत्रंण एवं निर्धारण का अधिकार नही होगा। निविदाकार पर नियमों के अन्तर्गत वेतन, ई.पी.एफ. एवं वेतन से काटे जाने वाले वैधानिक अंशदान तथा अन्य वैधानिक करो को जमा करने का दायित्व होगा।

17. सफल निविदाकार को अपने सभी कम्प्यूटर्स एवं संबंधित उपकरणें को पूरे समय अच्छी हालत मे रखना आवश्यक है एवं शत प्रतिशत अप–टाइम देना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर्स या अन्य उपकरणों में आई खराबी को तुरन्त दूर करना होगा। अन्यथा चिकित्सालय को होने वाली क्षति एवं मरीजों की असुविधा के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा

18. निविदाकार चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय मे कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों/नर्सिंग स्टाफ एवं उन पर आश्रित परिवार जनों का उपचार बी.पी. एल. मरीजों के समान निशुल्क ओ.पी.डी., आई पी. डी टिकिट, जांच रसीदें जारी करने हेतु कोई शुल्क प्राप्त नही करेगे।

19. प्राइस बिड मे न्यूनतम राशि वाले निविदाकार को प्राथमिकता दी जावेगी, साथ ही टेक्नीकल बिड मे दिये गये सभी बिन्दुओं पर दिये गये उत्तर/जबाब भी निविदाकार को प्राथमिकता देने मे सहायक होगें।

20. करार मे वर्णित किसी भी शर्त का उल्लघंन किये जाने पर निविदाकार का ठेका समाप्त किया जा सकेगा और इस दशा मे उपयोगकर्त्ता को यह अधिकार होगा की निविदाकार की जमा सुरक्षा निधि को दण्ड स्वरूप राजसात कर लें।

21. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति अपनी आवश्यकतानुसार करार पत्र मे कोई अतिरिक्त कंडिका का समावेश कर सकेगी।

22. प्रारंभिक तौर पर निविदा एक वर्ष के लिये होगी । निविदा की अवधि का विस्तार भी किया जा सकता है जिसका पूर्ण अधिकार श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय को होगा। निविदा मे

पूछे गये सवालों का जबाब सीधा होना चाहिये। किसी प्रकार का संशय करने वाला या द्विअर्थी जबाब न दिया जावें।

23. प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित बी.पी.एल., दीनदयाल अन्तयोदय उपचार योजना के गरीब मरीजों, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, भवन संन्निर्माण कर्मकार योजना मण्डल एवं सेवानिवृत्त म0प्र0 शासकीय सेवाकों एवं स्वतंत्रत्रा संग्राम सेनानीयो, राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना एवं आपतकालीन मरीजों (जैसे– सडक दुर्घटना, अपदा–विपदा) आदि का पंजीयन निःशुक्ल करना होगा।

24. यदि किसी भी कर्मचारियो के द्वारा फ्री मरीजो से किसी भी प्रकार का भुगतान लिया जाता है तो उसका जुर्माना निविदाकार से लिया जावेगा।

25. प्रतिदिन रजिस्टर्ड होने वाले ओ पीडी एवं आई.पी.डी मरीजो एवं डिस्चार्ज होने वाले मरीजो के नामों की सूची का प्रिंट आउट कम्प्यूटर से निकाल कर केन्द्रीय पंजीयन नोडल अधिकारी को सौपना होगा ।

26. प्रतिदिन एकत्र होने वाली राशि समरी के साथ नोडल अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ यह भी लिखकर देना होगा की मेरे द्वारा जमा की गई राशि रिपोर्ट में दर्शाये गये आंकडों के अनुसार है तथा इसमें किसी प्रकार की हेरा फेरी नहीं है। अगर कोई हेरा फेरी होती है तो उसकी पूर्ण रूप से मेरी जबावदारी होगी।

27. एम.एल.सी., नान एम.एल.सी मृत्यु फाइल हमेंशा के लिये हार्ड डिस्क मे स्टोर करके रखना होगा। इसकी माहवार सी.डी /हार्ड कापी तैयार कर प्रभारी अधिकारी आकस्मिक चिकित्सा विभाग को देना अनिवार्य होगा।

28. विभागावार सभी बीमारियों का पंजीयन रिकार्ड पृथक से सूचीबद्व करना होगा एवं इसकी माहवार सी.डी /हार्ड कापी तैयार कर प्रभारी अधिकारी आकस्मिक चिकित्सा विभाग को देना अनिवार्य होगा।

29. क्षेत्राधिकार सभी विवादों का निपटारा रीवा स्थिति माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय,रीवा म.प्र.